प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

**आदेश सुरक्षित किया गया :07.07.2025**

**आदेश पारित किया गयाः15.07.2025**

रिट याचिका सेवा सं 5305/2017

**फोटो बाई, पति शुक्ला प्रसाद उरांव, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 47, विजयपुर बोरदार, रायगढ़, तहसील तथा जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)**

**---याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , राजस्व विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, (छत्तीसगढ़)**

**2 – कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़).**

**---उत्तरवादी**

---

**वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली (सीआईएस) से लिया गया है]**

याचिकाकर्ता हेतु :--श्री टी. के. झा, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :--श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता तथा डॉ. एस. के. देवांगन, पैनल अधिवक्ता

---

**माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश**

**(सीएवी आदेश)**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता दिनांक 01.10.2016 के विज्ञापन (अनुलग्नक–पी/01) के अनुसार चालक के पद पर अपने गैर–चयन/नियुक्ति के विरुद्ध व्यथित है।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 02 ने 01.10.2016 को वाहन चालक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन (अनुलग्नक–पी/01) जारी किया था, जिसमें विज्ञापन के खंड 3 के उप–खंड (31) में

उल्लिखित एक विशिष्ट शर्त थी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 (संक्षेप में "1961 के नियम") के नियम 5 और 6 भर्ती प्रक्रिया पर लागू होंगे।उक्त विज्ञापन के खंड 3(5) में यह भी प्रावधान है कि उम्मीदवार को विज्ञापन की तिथि (अर्थात 01.10.2016) तक सभी आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।इसके बाद, 17.10.2016 को एक संशोधित विज्ञापन भी जारी किया गया (राज्य के उत्तर का अनुलग्नक–आर/1)।भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर, 12.07.2017 को काउंसलिंग और दस्तावेजों के सत्यापन के उद्देश्य से 01.07.2017 को अनुलग्नक–पी/03 के माध्यम से उम्मीदवारों को बुलाने का नोटिस जारी किया गया, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता ने भी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत भाग लिया।इस बीच, 13.07.2017 को, 1961 के नियमों के नियम 6(6) को हटा दिया गया, जिससे 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद 02 से अधिक बच्चे होने से संबंधित अयोग्यता को हटा दिया गया था। इसके बाद, 10.08.2017 को नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक–पी/04) जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम वाहन चालक के पद पर उसके चयन न होने के कारण नियुक्त नहीं किया गया था।व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने संबंधित उत्तरवादी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे भी राज्य के उत्तर के अनुलग्नक–आर/2 के अनुसार 08.09.2017 को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण यह रिट याचिका दायर की गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि चूंकि उसे 01.07.2017 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उसकी उम्मीदवारी को 1961 के नियम 6(6) की प्रयोज्यता के आधार पर खारिज नहीं किया गया था, इसलिए उसे चालक के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था और उक्त पद पर उसका चयन 1961 के नियम 6(6) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता था।इसके अलावा, 13.07.2017 के आक्षेपित अधिसूचना, जिसके द्वारा 26.01.2001 को या उसके बाद 02 से अधिक बच्चे होने से संबंधित अयोग्यता को हटाने के संबंध में उक्त नियम 6(6) को हटा दिया गया था, प्रकृति में पूर्वव्यापी है, इसलिए यह याचिकाकर्ता के मामले में पूरी तरह से लागू है।अतः उत्तरवादी को याचिकाकर्ता को वाहन चालक के पद पर नियुक्त करने का निर्देश देते हुए उचित आदेश पारित किया जाए।

4. राज्य ने भी अपना जवाब दाखिल की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जनजाति (महिला) पद के अंतर्गत आवेदन किया है और अनुसूचित जनजाति (महिला) श्रेणी का कोई पद विज्ञापित नहीं किया गया था।याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी 1961 के नियम 6(6) के अंतर्गत वर्जित है, इसलिए उसे सही रूप से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है और उसकी रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी.के. झा ने प्रस्तुत किया है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा 01.10.2016 को जारी विज्ञापन के अनुसार चालक के पद पर याचिकाकर्ता का चयन/नियुक्ति न करना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि एक बार जब उसे उक्त पद के लिए योग्य घोषित कर दिया गया और परामर्श एवं दस्तावेज़ सत्यापन के लिए मंगवाया गया, तो 1961 के नियम 6(6) के आधार पर उसकी उम्मीदवारी को बाद में अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि

1961 के नियम 6(6) का प्रभाव पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा।वह अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में भारत संघ बनाम उजैर इमरान 1 एवं अन्य के निर्णय का उल्लेख करते है ।अतः, इस याचिका को स्वीकृति दी जाए।

6.उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने कहा कि 1961 के नियम 6(6) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ हो और, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता के दो से अधिक बच्चे हैं और उनमें से एक का जन्म विज्ञापन की तिथि अर्थात 01.10.2016 को 26.01.2001 के बाद हुआ है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता चालक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यद्यपि नियम 6(6) के संबंध में उक्त अयोग्यता को 13.07.2017 की अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया है, लेकिन यह भविष्य में लागू रहेगा, क्योंकि संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है।वैसे भी, अधीनस्थ विधान/नियम निर्माण प्राधिकारी को पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि उसे विधि द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त न किया गया है।अतः, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके उपरोक्त प्रतिद्वन्द्वियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

8. यह सत्य है कि वर्तमान मामले में वाहन चालक के पद पर नियुक्ति के लिए 01.10.2016 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विज्ञापन के खंड 3 के उप-खंड (31) में उल्लिखित एक विशिष्ट शर्त थी कि 1961 के नियम 5 और 6 उस भर्ती प्रक्रिया पर लागू होंगे, जिसमें याचिकाकर्ता ने वाहन चालक के पद के लिए आवेदन किया था।1961 के नियम 6 के उप-नियम (6) में निम्नलिखित कहा गया है:

**"(6) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ हो।"**

9. उपरोक्त नियम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि एक विधायी निषेधाज्ञा है जो ऐसे उम्मीदवारों को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने से रोकती है जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् पैदा हुए हैं।अतः, किसी सेवा या पद के लिए आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ है, तो वह नियम 1961 के नियम 6(6) के अनुसार नियुक्ति और चयन के लिए पात्र नहीं होगा।

10. इस संबंध में, न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह (15 वां संस्करण) द्वारा दिए गए वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत "नकारात्मक शब्दों का प्रयोग" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं:

**"यह स्पष्ट रूप से दर्शाने का एक अन्य तरीका कि अधिनियमित प्रावधान अनिवार्य है, आदेश को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना है।जैसा कि क्रॉफर्ड ने कहा है:निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द, यदि कभी हों, तो, निश्चित रूप से निर्देशात्मक हो सकते हैं।और ऐसा तब भी है जब क़ानून अवज्ञा के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं करता है।"**

11. इसी प्रकार, एम. पेंटियाब बनाम मुद्दला वीरमल्लप्पा 2 के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नकारात्मक शब्द स्पष्ट रूप से निषेधात्मक हैं और आमतौर पर किसी क़ानून को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधायी उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं।विधि की इस पूर्वधारणा का आगे नसीरुद्दीन बनाम सीता राम अग्रवाल 3 में अनुमोदन के साथ पालन किया गया है।

12. यह स्वीकार किया जाता है कि जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी.के. झा ने बार में कहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके बाद हुआ है।तथापि, 1961 के नियमों के नियम 6(6), जो उन अभ्यर्थियों को किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने से रोकता था जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ हो, को दिनांक 13.07.2017 की अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया है, जिसे आधिकारिक राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"छत्तीसगढ़ शासन**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर**

**अधिसूचना**

**नया रायपुर, दिनांक 13/07/2017**

**No.F2-1/2017/1-3:--**

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:---**

**संशोधन**

**उक्त नियमों में,-नियम 6 के उपनियम (6) का लोप किया जाए।**

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश द्वारा**

सही/–

(विकास शील)

सचिव,छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग "

13. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी.के. झा ने यह प्रस्तुत किया है कि यह संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति का है, इसलिए यदि इसे 01.10.2016 को विज्ञापन जारी करने के बाद 13.07.2017 से हटा भी दिया जाए, तो भी यह वर्तमान प्रकरण में लागू होगा।

14. इस संबंध में, तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय 4 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें, उनके माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि कट–ऑफ तिथि, जिसके संदर्भ में पात्रता निर्धारित की जानी है, वह संबंधित सेवा नियमों द्वारा नियत तिथि है; जहां नियमों में ऐसी कोई कट–ऑफ तिथि प्रदान नहीं की गई है, तो वह आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में नियत तिथि होगी और कंडिका–15 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"15. कट–ऑफ तिथि, जिसके संदर्भ में पात्रता निर्धारित की जानी है, वह संबंधित सेवा नियमों द्वारा नियत तिथि है; जहां नियमों में ऐसी कोई कट–ऑफ तिथि प्रदान नहीं की गई है, तो वह आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में नियत तिथि होगी; और यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, तो पात्रता मानदंड उस अंतिम तिथि के संदर्भ में लागू किए जाएंगे, जिस तक आवेदन प्राप्त होने थे।[ शंकर के. मंडल बनाम बिहार राज्य, (2003) 9 एससीसी 519:2003 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1145]।"**

15. इसके अलावा, अपने समापन में माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका 65.1 और 65.2 में विधि के सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है:–––

**"65.1.भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी होने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है;**

**65.2.चयन सूची में शामिल होने के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित पात्रता मानदण्ड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि विद्यमान नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो विद्यमान नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।भले ही मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत ऐसा परिवर्तन स्वीकार्य हो, परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर–मनमानापन के परीक्षण को संतुष्ट करना होगा; "**

16. वर्तमान मामले में तेज प्रकाश पाठक (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशो द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता के पास दो से अधिक जीवित बच्चे थे जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके बाद हुआ है, इसलिए, वह 1961 के नियमों के नियम 6 (6) के आधार पर विज्ञापन की तारीख यानी 01.10.2016 को वाहन चालक के पद के

लिए अपात्र थी।इस प्रकार, विज्ञापन के नियम 1961 के खंड 3(5) सहपठित नियम 6(6) के तहत उसकी उम्मीदवारी खारिज किए जाने योग्य थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उम्मीदवार को विज्ञापन की तिथि तक सभी अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।इस प्रकार, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को भर्ती प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज किया जाना उचित ही है।

17. अगला तर्क जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उसे काउंसलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था, इसलिए उत्तरवादी यह तर्क नहीं दे सकते कि वह अयोग्य है।हालांकि, मेरी सुविचारित राय में, यह तर्क खारिज किए जाने योग्य है।

18. इस संबंध में, भाग्यश्री सैयद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 5 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:

**"17. विज्ञापन में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अयोग्यता 1994 के नियमों और 1961 के नियमों के अनुसार होगी।यदि विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, तो केवल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लेने मात्र से उम्मीदवार पात्र नहीं बन जाएगा। नियुक्ति से पहले याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनता, जब 1961 के नियमों के तहत अयोग्यता के आधार पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।वर्तमान प्रकरण में, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ही याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी नियुक्ति के चरण से पहले ही रद्द कर दी गई है। अतः, याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण के विरुद्ध विनियोजन का तर्क नहीं दे सकता है।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया अंतिम तर्क यह है कि दिनांक 13.07.2017 की अधिसूचना, जिसके द्वारा नियम 6(6) को हटा दिया गया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने से संबंधित अयोग्यता को हटा दिया गया है, प्रकृति में पूर्वव्यापी है, इस कारण से भी अस्वीकृति के लिए ध्यान देने योग्य है कि यह सुस्थापित विधि है कि अधीनस्थ कानून/नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि विधि द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।

20. संघीय संसद और राज्य विधानमंडलों को उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और कुछ संवैधानिक और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिबंधों के अधीन वे भावी और भूतलक्षी प्रभाव से विधि बना सकते हैं।... पूर्वव्यापी विधान बनाने की शक्ति विधानमंडल को एक संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त करने और कानून को उस स्थिति में बहाल करने में सक्षम बनाती है जैसा वह संशोधन अधिनियम से पहले था। ... यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया भावी होता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी संचालन के लिए नहीं बनाया जाता है। ... जब तक क़ानून में मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने के विधानमंडल के इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त

शब्द न हों, तब तक इसे "केवल भावी माना जाता है – " नोवा कॉन्स्टिट्यूटियो फ्यूचुरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डेबेट नॉन प्रेटेरिटिस" – एक नए कानून को यह विनियमित करना चाहिए कि आगे क्या होना है, न कि अतीत।... यह आवश्यक नहीं है कि किसी क़ानून को पूर्वव्यापी बनाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान किया जाए और पूर्वव्यापीकरण के विरुद्ध पूर्वधारणा को आवश्यक निहितार्थ द्वारा खंडित किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहाँ नया क़ानून समग्र रूप से समुदाय के लाभ के लिए किसी स्वीकृत बुराई को दूर करने के लिए बनाया गया हो।(देखें न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 15 वां संस्करण, पृष्ठ 408–410 पर।)संबंधित जेल प्राधिकारियों (अर्थात, परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से रिपोर्ट के रूप में मांगी जानी चाहिए।

21. यह सुस्थापित विधि है कि अधीनस्थ विधान को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है, यदि इस संबंध में शक्ति मुख्य अधिनियम में निहित है।

22. महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम हरियाणा 6 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः(एससीसी पृष्ठ 633,कंडिका 41–43)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**“41. इस स्तर पर हम उक्त नोट के लोप के प्रभाव पर विचार कर सकते हैं।यह किसी भी संदेह से परे है कि किसी अधीनस्थ विधान को पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी प्रवर्तन दिया जा सकता है, यदि इस संबंध में कोई शक्ति मुख्य अधिनियम में निहित है। नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित विधान का एक प्रकार है।इसलिए, एक प्रत्यायोजित व्यक्ति केवल उसके चारों कोनों के भीतर ही नियम बना सकता है।**

**42. यह विधि का एक मूलभूत नियम है कि किसी भी क़ानून को पूर्वव्यापी प्रवर्तन वाला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा कोई निर्माण अधिनियम की शर्तों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट न हो, या आवश्यक और विशिष्ट निहितार्थ से उत्पन्न न हो।(देखें वेस्ट बनाम ग्वेने 7.)**

**43. इस प्रकार, प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से किसी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव अधिनियम की धारा 64 की उप–धारा (2–ए) के लागू होने के बाद ही दिया जा सकता है, न कि उससे पूर्व।” देखें एम. आर. एफ. लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त (कर निर्धारण)विक्रयकर .**

23. **महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (प्रा.) लिमिटेड (सुप्रा)** में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का **एमआरएफ लिमिटेड (सुप्रा)** में तथा उसके बाद **राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड** के मामले में अनुसरण किया गया है।

24. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 10 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अधीनस्थ एवं प्रत्यायोजित विधानों की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के पहलू पर विचार किया और यह माना कि जब तक मूल विधान, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रत्यायोजित

विधान को पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं करता, तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता। माननीय न्यायाधीशों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:–––

**"26. अधीनस्थ विधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति, चाहे वह नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं के रूप में हो, इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में चर्चा का विषय रही है और उन सभी पर विचार करना आवश्यक नहीं है—वास्तव में ऐसा करना संभव भी नहीं हो सकता है। यह पर्याप्त होगा यदि हमारे समक्ष उद्धृत और हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक इन निर्णयों में से कुछ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को अलग कर दिया जाए।ये स्पष्ट रूप से वर्तमान मामलों से संबंधित हैं और इनका उद्देश्य विधियों या अधीनस्थ विधान के पूर्वव्यापी संचालन के सभी मामलों के लिए कानून निर्धारित करना नहीं है। सुसंगत सिद्धांत इस प्रकार हैः**

**(i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार (या कोई अन्य प्राधिकारी) पूर्वव्यापी प्रभाव वाला कोई अधीनस्थ कानून नहीं बना सकती है, जब तक कि मूल विधि, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत न करे।[हुकम चंद बनाम भारत संघ 11 और महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य 5]**

**(ii) प्रत्यायोजित विधान सामान्यतः भावी प्रकृति का होता है और पहली बार सृजित किसी अधिकार या दायित्व को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।(पंची देवी बनाम राजस्थान राज्य 12)**

**(iii) किसी राजकोषीय विधि से संबंधित अधीनस्थ विधान के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया जाना उचित नहीं होगा कि किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में कोई प्रत्यायोजित प्राधिकारी कर या शुल्क लगा सकता है।किसी नागरिक से जबरन वसूली के संबंध में किसी भी प्रकार की मंशा या आशय की कोई गुंजाइश नहीं है। [अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरदकुमार जयंतीकुमार पासावाला 13 और राजस्थान राज्य बनाम बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड 8]**

**27. इस विषय पर कहीं अधिक विद्वत्तापूर्ण, सामान्य और व्यापक चर्चा सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (प्रा.) लिमिटेड 14 में संविधान पीठ के निर्णय में मिलती है और हम स्पष्ट रूप से उसमें प्राप्त निष्कर्षों से बाध्य हैं।हमारे लिए संविधान पीठ द्वारा की गई चर्चा और निकाले गए निष्कर्षों को दोहराना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि हम यह कहें कि हमारे निष्कर्ष संविधान पीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से पृथक नहीं हैं।"**

25. इस प्रकार, अब यह सुस्थापित है कि प्रत्येक विधि को प्रथम दृष्टया भावी माना जाएगा, जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा इसे पूर्वव्यापी संचालन नहीं किया जाता है।यह भी एक सामान्य विधि है कि अधीनस्थ विधि बनाने के लिए प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मूल अधिनियम के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।किसी अधीनस्थ विधान को पूर्वव्यापी प्रभाव और प्रचालन दिया जा सकता है, यदि इस संबंध में कोई शक्ति मुख्य अधिनियम में निहित है, जैसा कि पूर्वोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभिनिर्धारित किया गया है, तथा वर्तमान प्रकरण में, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि 1961 के नियम 6(6) को पूर्वव्यापी प्रभाव से हटा दिया गया है, या 1961 के नियम 6(6) को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है।

26. उपर्युक्त के तहत, उजैर इमरान (सुप्रा) के प्रकरण में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत स्पष्ट रूप से पृथक है।

27. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है।यह खारिज करने योग्य है तथा तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।

**सही/-**
**(संजय के. अग्रवाल)**
**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरण:*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

*प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur